

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28 सितम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 735(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2022, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में :-

- पृष्ठ 5 में, पंक्ति 22 में, "को" शब्द के स्थान पर "को 01 अक्टूबर 2022 से" शब्दों को पढ़ें।

[फा.स.सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार